संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
सतपुड़ा भवन, भोपाल
मध्य प्रदेश

क्रमांक / 1–जी / विज्ञप्त / सेल–5 / 09 / 157–58 जी भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 09

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल, अधीक्षक, जिला चिकित्सालय
   मध्यप्रदेश।

विषयः–जिलों में पदस्थ चिकित्सकों / विशेषज्ञों की पदस्थापना में परिवर्तन बाबत्।

–000–

राज्य शासन के ध्यान में यह तथ्य् आया है कि जिलों में पदस्थ चिकित्सकों की पदस्थापना में कतिपय नियत्रंणकर्ता अधिकारियों द्वारा अपने स्तर से निर्णय लेकर परिवर्तन किया गया है। यह स्थिति कदापि वांछनीय नही है। यदि ऐसा कोई आपात्तिक परिवर्तन विघमान है जिसमें आपके द्वारा पदस्थापना स्थानीय स्तर पर परिवर्तित की जानी आवश्यक समझी जाती है तो उसके संबधं में मुख्यालय से निर्देश प्राप्त किये जाने चाहिये।

यदि भविष्य में इस प्रकार से पदस्थापना परिवर्तन के प्रकरण पाये जायेंगे तो आदेश जारी करने वाले अधिकारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। यहॅां यह स्पष्ट किया जाता है कि बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से चिकित्सकों की डियूटी लगाया जाना इस आदेश की परिधि में शामिल नही होगा।

(डॉ. मनोहर अगनानी)
आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश